



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2019/भाद्र 26, 1941

No. 324]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2019/BHADRA 26, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 सितम्बर, 2019

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 100वें दिन प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-
(I) अध्याय-III के पश्चात् और अध्याय-IV से पूर्व, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-IIIक

परिभाषाएँ

7क.(1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि” से अधिनियम की धारा 11 के तहत बोर्ड द्वारा बनाई गई निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण और शिक्षण निधि अभिप्रेत है;

- (ख) “मुखबिर” (सूचना प्रदाता) से ऐसा (ऐसे) व्यक्ति अभिप्रेत है (हैं), जो बोर्ड के पास स्वेच्छा से, अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों के ऐसे कथित उल्लंघन के संबंध में, जो हो चुका हो, जो हो रहा हो या जिसके बारे में काफी हद तक यह विश्वास हो कि ऐसा उल्लंघन होने वाला है, स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म (वॉलेन्टरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र फॉर्म) उसी प्रकार प्रस्तुत करता हो (करते हों), जैसा इन विनियमों में उल्लेख किया गया है, फिर चाहे ऐसा (ऐसे) व्यक्ति इनाम के लिए पात्र होने से संबंधित अपेक्षाओं, प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरी करता हो (करते हों) या न करता हो (न करते हों);
- (ग) “मुखबिर प्रोत्साहन समिति” से वह उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति अभिप्रेत है, जिसका गठन बोर्ड द्वारा उसी प्रकार किया गया हो जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के विनियम 11 के तहत निर्धारित किया जाए;
- (घ) “अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों” से प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के निम्नलिखित प्रावधान अभिप्रेत हैं,-
- अधिनियम की धारा 15छ;
 - इन विनियमों का विनियम 3;
 - इन विनियमों का विनियम 4;
 - इन विनियमों का विनियम 5; और
 - इन विनियमों का विनियम 9 या विनियम 9क, जहाँ तक वे व्यापार (ट्रेडिंग) या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी सूचित (संसूचित) करने से संबंधित हैं।
- (ङ) “असंगत सूचना, तंग करने के इरादे से दी जाने वाली सूचना और महत्वहीन सूचना” में शामिल है -
ऐसी सूचना देना,-
- जिससे, बोर्ड की राय में, अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो; या
 - जो, बोर्ड की राय में, केवल दुर्भावना से मुकदमा (अभियोजन / प्रॉसीक्यूशन) चलाने के प्रयोजन से दी गई हो; या
 - जो, बोर्ड की राय में, जानबूझकर बोर्ड का समय तथा संसाधन बर्बाद करने के इरादे से दी गई हो।
- (च) “विधिक प्रतिनिधि” से विधिवत रूप से प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारत में वकालत करने की अनुमति हो;
- (छ) “आर्थिक अनुशास्तियों” से निपटारे की कोई गैर-आर्थिक शर्त आदि या बोर्ड का कोई निदेश अभिप्रेत होगा, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के तहत प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) के स्वरूप का हो और जिसकी रकम मूल सूचना में दिए हुए तथ्यों के आधार पर कम से कम एक करोड़ रुपये की हो।

(ज) “मूल सूचना” से अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों के किसी उल्लंघन से संबंधित ऐसी कोई संगत सूचना अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई हो, अर्थात्: -

- (i) जो मुखबिर को अपनी जानकारी और अपने विश्लेषण से पता चली हो;
- (ii) जो किसी और स्रोत से बोर्ड को पता न चली हो, किंतु यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ मुखबिर सूचना का मूल स्रोत हो;
- (iii) जो काफी हद तक सटीक हो, विश्वसनीय हो और समय रहते दी गई हो, ताकि, - (1) जाँच-पड़ताल या जाँच या लेखापरीक्षा (ऑडिट) शुरू की जा सके; (2) चल रही किसी जाँच-पड़ताल या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) या जाँच या लेखापरीक्षा (ऑडिट) में सहायता मिल सके; (3) कोई अन्वेषण या जाँच शुरू की जा सके या फिर से शुरू की जा सके अथवा; (4) बोर्ड के निदेशानुसार चल रही किसी जाँच-पड़ताल या अन्वेषण या जाँच या लेखापरीक्षा के भागस्वरूप किसी अलग पहलू को जाँचा जा सके;
- (iv) जो किसी न्यायिक या प्रशासनिक सुनवाई, किसी सरकारी रिपोर्ट, सुनवाई, लेखापरीक्षा (ऑडिट), या अन्वेषण में लगाए गए किसी आरोप से अथवा न्यूज़ मीडिया से ही पता चली हो, किंतु यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ मुखबिर सूचना का मूल स्रोत हो; और
- (v) जो असंगत न हो या महत्वहीन न हो या तंग करने के इरादे से न दी गई हो।
स्पष्टीकरण.- ऐसी सूचना मूल सूचना नहीं है, जो बोर्ड की राय में बोर्ड के पास पहले से ही मौजूद सूचना में कुछ नया नहीं जोड़ती।

(झ) “अपने विश्लेषण” से अभिप्रेत है - मुखबिर द्वारा ऐसी संगत सूचना की जाँच-पड़ताल और आकलन जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, किंतु जिससे ऐसा विश्लेषण सामने आता हो जिसके बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को पता न चला हो:

परंतु यह कि ऐसा विश्लेषण पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से मिली ऐसी सूचना (संसूचना) या ऐसी गोपनीय सूचना (संसूचना) से न निकाला गया हो, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के तहत प्रकट किए जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है;

(ञ) “अपनी जानकारी” से ऐसी संगत सूचना अभिप्रेत है, जो मुखबिर के पास हो और जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से न ली गई हो:

परंतु यह कि ऐसी जानकारी पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से मिली ऐसी सूचना (संसूचना) या ऐसी गोपनीय सूचना (संसूचना) से न ली गई हो, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के तहत प्रकट किए जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है;

(ट) “इनाम” से अनुग्रहपूर्वक अदा की जाने वाली कोई ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसके लिए मुखबिर को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पात्र घोषित किया जाए;

(ठ) “प्रतिभूति विधियों” (सिक्क्यूरिटीज़ लॉज़) से अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम,

1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22), किसी अन्य विधि के संबंधित प्रावधान (जहाँ तक वे बोर्ड के दायरे में आते हों) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम तथा विनियम अभिप्रेत हैं;

- (ड) “स्वेच्छा से सूचना प्रदान करने” से किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिससे सूचना संबंधित हो, बोर्ड, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण या अन्य कानूनी प्राधिकरण (स्टैट्यूटरी अथॉरिटी) की ओर से कोई निवेदन मिलने से पहले, किसी जाँच से पहले, या कोई माँग किए जाने से पहले बोर्ड को सूचना प्रदान करना अभिप्रेत है;

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उन विधियों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी किसी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

बोर्ड को मूल सूचना प्रस्तुत करना

7ख. (1) मुखबिर बोर्ड के मुखबिर संरक्षण कार्यालय के पास स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म उसी फॉर्मेट में और उसी प्रकार प्रस्तुत करके मूल सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसा अनुसूची-घ में निर्धारित है या उल्लेख है। स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म मुखबिर के विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परंतु यह कि, जहाँ मुखबिर विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत न करे, वहाँ बोर्ड ऐसे मुखबिर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी पहचान और इस प्रकार प्रदान की गई सूचना की सत्यता की पुष्टि करने के लिए स्वयं हाजिर हो।

स्पष्टीकरण:- जहाँ प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के किसी उल्लंघन से संबंधित कोई सूचना उस प्रकार से प्राप्त न हो जैसा इन विनियमों के तहत उल्लेख किया गया है, वहाँ बोर्ड यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी सूचना उसके पास इन विनियमों के अनुसार दाखिल (प्रस्तुत) की जाए या बोर्ड ऐसी सूचना को नामंजूर कर सकेगा।

(2) विधिक प्रतिनिधि,-

- i. मुखबिर की पहचान और उसके संपर्क संबंधी ब्यौरों का सत्यापन करेगा;
- ii. जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा अपेक्षा न की जाए, मुखबिर की पहचान तथा उससे जुड़ी हर बात, जिसमें मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म भी शामिल है, की गोपनीयता बनाए रखेगा;
- iii. यह वचन देगा और यह प्रमाणित करेगा कि,-
 - (क) उसने पूर्णता और सटीकता की पुष्टि हेतु पूरी तरह से भरे गए और हस्ताक्षरित स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म की समीक्षा कर ली है और यह कि उसके अंतर्गत दी गई सूचना उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है;
 - (ख) उसने उस दशा में बोर्ड को मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के संबंध में मुखबिर से सहमति (जिसे मुखबिर वापस नहीं ले सकता) प्राप्त कर ली है, जब भी बोर्ड ऐसी अपेक्षा करे; और

(ग) वह इस बात से सहमत है कि वह उस तारीख से सात (7) कलेंडर दिनों के भीतर मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगा, जिस तारीख को बोर्ड से ऐसे निवेदन प्राप्त हों।

iv. बोर्ड के पास, स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म की प्रति उसी प्रकार प्रस्तुत करेगा जैसा इन विनियमों की अनुसूची-घ में उल्लेख है, और साथ ही हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा जैसा इस उप-विनियम (2) के खंड (iii) के तहत अपेक्षित है।

(3) मुखबिर स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करते समय, सूचना की विषय-वस्तु में से ऐसी सूचना निकाल देगा जिससे काफी हद तक ऐसा लगता हो कि उसकी पहचान जाहिर हो सकती है और यदि ऐसी सूचना निकाली न जा सकती हो, तो मुखबिर सूचना या किसी दस्तावेज के ऐसे भाग की पहचान कर सकेगा जिसके बारे में मुखबिर को काफी हद तक ऐसा लगता हो कि उससे मुखबिर की पहचान जाहिर हो सकती है।

बोर्ड को मूल सूचना प्राप्त होना

7ग. (1) बोर्ड एक ऐसा प्रभाग बना सकेगा, जो स्वतंत्र रूप से मुखबिर संरक्षण कार्यालय का कार्य देखे।

(2) मुखबिर संरक्षण कार्यालय ऐसे कार्य करेगा, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँ, जिनमें शामिल हैं,-

- i. स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्राप्त करना और उसे रजिस्टर करना;
- ii. मुखबिर के साथ सभी जरूरी संवाद करना;
- iii. भावी मुखबिर की सुविधा के लिए हॉटलाइन बनाना;
- iv. मुखबिर के विधिक प्रतिनिधि की गोपनीयता बनाए रखना और मुखबिर तथा बोर्ड के अधिकारियों के बीच एक कड़ी (इंटरफेस) का काम करना;
- v. मुखबिर प्रोत्साहन समिति से संपर्क बनाए रखना;
- vi. मुखबिर के संबंध में प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करना तथा इनाम देना; और
- vii. मुखबिर संरक्षण कार्यालय की कार्यप्रणाली के संबंध में बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(3) स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्राप्त होने पर, मुखबिर संरक्षण कार्यालय सूचना का सार और मुखबिर द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत बोर्ड के संबंधित विभाग या प्रभाग को देगा, ताकि जाँच-पड़ताल की जा सके और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, शुरू की जा सके।

(4) बोर्ड से इन विनियमों के तहत स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म या सूचना प्राप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा शुरू की गई जाँच-पड़ताल या कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में (उसकी नामंजूरी के बारे में भी) मुखबिर या किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी आदि देना अपेक्षित नहीं होगा।

मुखबिर को दिया जाने वाला इनाम

7घ. (1) इनाम की कम से कम दुगुनी राशि की आर्थिक अनुशास्तियाँ एकत्र हो जाने या उनकी पर्याप्त वसूली हो जाने पर, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, किसी मुखबिर को इनाम पाने के लिए पात्र घोषित कर सकेगा और मुखबिर या उसके

विधिक प्रतिनिधि को ऐसे इनाम के लिए दावा करने हेतु अनुसूची-ड में दिए गए फॉर्म में आवेदन दाखिल करने के लिए सूचित कर सकेगा:

परंतु यह कि इनाम की रकम एकत्र की गई या वसूल की गई आर्थिक अनुशास्तियों की दस प्रतिशत होगी और जो एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की उतनी रकम से अधिक नहीं होगी, जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:

परंतु यह और कि, जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पण करने का निदेश दिया गया हो, उस व्यक्ति के खिलाफ बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने पर, बोर्ड, यदि ठीक समझे, तो दिए जाने वाले इनाम की कुल रकम में से अंतरिम इनाम के तौर पर कुछ रकम दे सकेगा, जो दस लाख रुपये या उससे अधिक की उतनी रकम से अधिक नहीं होगी जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे।

(2) यदि एक से अधिक मुखबिर संयुक्त रूप से मूल सूचना प्रदान कर रहे हों, तो इनाम, जिसका उल्लेख उप-विनियम (1) के तहत दी जाने वाली सूचना में किया गया हो, सभी मुखबिरों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाएगा।

(3) इन विनियमों के तहत इनाम निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण और शिक्षण निधि में से अदा किया जाएगा।

इनाम की रकम तय करना

7ड. (1) यदि इनाम की रकम अदा की जानी हो, तो वह बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के तहत इनाम की रकम तय करते समय, बोर्ड ऐसे कारकों का उल्लेख कर सकेगा, जिन पर मुखबिर प्रोत्साहन समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(3) कोई मुखबिर इनाम के लिए पात्र हो सकेगा, फिर चाहे उसने संगठन की आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं और पालन संबंधी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार अपने संगठन को मामले की जानकारी दी हो या न दी हो और फिर भले ही ऐसे संगठन के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) ने बाद में बोर्ड को वही सूचना दे दी हो।

इनाम के लिए आवेदन

7च. (1) जिन मुखबिरों को इनाम के लिए अनंतिम रूप से पात्र माना गया हो, वे मुखबिर, बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर, अनुसूची-ड में दिया हुआ फॉर्म (मुखबिर द्वारा इनाम के दावे हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला फॉर्म) बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(2) इनाम की रकम अदा किए जाने से पहले, कोई मुखबिर सीधे या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से, अपनी पहचान प्रकट करेगा या करेगी और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा या करेगी, जो बोर्ड मांगे।

इनाम हेतु किए गए दावे की नामंजूरी

7छ. ऐसे मुखबिर को कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा:-

(1) जो मूल सूचना प्रस्तुत न करे;

(2) जिसने :-

(i) भारत में या भारत के बाहर किन्हीं कानूनी प्रावधानों द्वारा या के तहत गठित किसी विनियामक (रेग्युलेटरी) एजेंसी, जिसमें बोर्ड भी शामिल है;

- (ii) किसी स्व-विनियामक संगठन (सेल्फ-रेग्यूलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन);
- (iii) किसी मान्याप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के निगरानी (सर्विलेंस) या अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) विभागों आदि (विंग्स); या
- (iv) कानून का प्रवर्तन करने वाले किसी संगठन, जिसमें पुलिस अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई राजस्व प्राधिकरण (रेविन्यू अथॉरिटी) शामिल हैं, के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से अथवा उसके सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के नाते मूल सूचना हासिल की हो;
- (3) जिसके खिलाफ बोर्ड प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के तहत दांडिक (आपराधिक) कार्यवाहियाँ शुरू कर सकता हो या कर चुका हो;
- (4) जिसने प्रतिभूति विधियों के तहत अन्वेषण, जाँच, लेखापरीक्षा (ऑडिट), जाँच-पड़ताल या अन्य कार्यवाहियों के दौरान बोर्ड को सहयोग देने से जानबूझकर इनकार किया हो;
- (5) जो:
- (i) जानबूझकर कोई मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण कथन या अभ्यावेदन करता हो; या
- (ii) मिथ्या दस्तावेज का इस्तेमाल करता हो या लिखित में कुछ गलत पेश करता हो यह जानते हुए कि उसमें मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण तरीके से किया गया कोई कथन या प्रविष्टि है; या
- (iii) कथित उल्लंघन के संबंध में पूरी सूचना, जो उसके पास हो या जिस तक उसकी पहुँच हो, प्रस्तुत करने में असफल रहता हो |
- (6) जो किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत या किसी अन्य प्रकार से, बोर्ड को ऐसी मूल सूचना देने के लिए बाध्य हो, जिसमें प्रतिभूति विधियों के तहत अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) भी शामिल है: परंतु यह कि यदि बोर्ड ठीक समझे, तो अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, किसी व्यक्ति को इस प्रकार अपात्र होने से छूट प्रदान कर सकेगा |

मुख्यबिबर की गोपनीयता

7ज. (1) कोई सूचना, जिसमें मूल सूचना भी शामिल है, बोर्ड के विवेकाधिकार से, उपलब्ध कराई जा सकेगी:

- (a) जब बोर्ड के लिए अपना पक्ष रखने हेतु किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में उसे प्रकट करना जरूरी हो;
- (b) जैसा इन विनियमों के अनुसार अनुमत हो; या
- (c) जैसा कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनुमत हो या किसी अन्य प्रकार से अपेक्षित हो |

(2) मूल सूचना, बोर्ड के विवेकाधिकार से, -

- (i) भारत में या भारत के बाहर किन्हीं कानूनी प्रावधानों द्वारा या के तहत गठित किसी विनियामक (रेग्यूलेटरी) एजेंसी;
- (ii) किसी स्व-विनियामक संगठन (सेल्फ-रेग्यूलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन);
- (iii) किसी मान्याप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के निगरानी (सर्विलेंस) या अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) विभागों आदि (विंग्स); या
- (iv) कानून का प्रवर्तन करने वाले किसी संगठन, जिसमें पुलिस अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई राजस्व प्राधिकरण (रेविन्यू अथॉरिटी) शामिल हैं; या

(v) किन्हीं दांडिक (आपराधिक) कार्यवाहियों के संबंध में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर, को उपलब्ध कराई जा सकेगी:

परंतु यह कि सूचना गोपनीयता के ऐसे आश्वासनों के अनुसार साझा की जाएगी, जो बोर्ड निर्धारित करे |

स्पष्टीकरण – इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात का आशय, किन्हीं दांडिक (आपराधिक) कार्यवाहियों के संबंध में संभावित गवाहों या आरोपियों (अभियुक्तों) के साथ ऐसे सबूत (साक्ष्य) साझा करने की पब्लिक प्रॉसीक्यूटर की क्षमता को कम करने का नहीं है, या उसे कम करना नहीं समझा जाएगा |

(3) मुखबिर द्वारा प्रदान की गई मूल सूचना तथा पहचान गोपनीय रखी जाएगी और जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (छ) एवं (ज) के तहत प्रकट किए जाने से छूट होगी |

(4) साक्ष्य (सबूतों) के संबंध में इस समय प्रवृत्त (लागू) कानूनी प्रावधानों के अध्यक्षीन, इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हुई सूचना का इस्तेमाल करने या उसका सहारा लेने के बोर्ड के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(5) किसी भी व्यक्ति को किसी मुखबिर की पहचान को, उससे जुड़ी हर बात को या मुखबिर द्वारा प्रदान की गई सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उतने को प्रकट करने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा जितने का बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई किसी कार्यवाही में सहारा लिया गया हो |

स्पष्टीकरण 1. – अन्वेषण, जाँच और जाँच-पड़ताल की समस्त प्रक्रिया के दौरान और साथ ही बोर्ड के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान भी मुखबिर की पहचान और उससे जुड़ी हर बात के संबंध में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी, किंतु जहाँ ऐसी कार्यवाहियों के दौरान मुखबिर का सबूत जरूरी हो, वहाँ नोटिसी को ऐसे सबूत की अग्रिम सूचना (नोटिस), सबूत (साक्ष्य) हेतु तय की गई सुनवाई की तारीख से कम से कम सात (7) कार्य-दिवस पहले दी जा सकेगी |

स्पष्टीकरण 2. – बोर्ड को छोड़कर किसी प्राधिकरण (अथॉरिटी) के समक्ष चल रही कार्यवाहियों के दौरान, बोर्ड ऐसी कार्यवाही में मुखबिर की पहचान और उससे जुड़ी हर बात की गोपनीयता को बनाए रखने का निवेदन कर सकेगा |

बदला लिए जाने और सताए जाने के प्रति संरक्षण

7झ. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इन विनियमों के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी आचार संहिता में, निम्नलिखित कारणों से, किसी भी कर्मचारी, जो स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म दाखिल करता है, को सेवामुक्त किए जाने, को सेवा से हटाए जाने, का पद घटाए जाने (की पदावनति), को निलंबित किए जाने, को धमकाए जाने, को परेशान किए जाने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या उसके साथ भेदभाव बरते जाने के प्रति उपयुक्त संरक्षण के प्रावधान हों, फिर चाहे बोर्ड उस सूचना पर विचार करे या उसे नामंजूर करे अथवा फिर चाहे वह इन विनियमों के तहत इनाम के लिए पात्र हो या न हो:

- (i) इन विनियमों के तहत स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म दाखिल किए जाने के कारण;
- (ii) अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए शुरू किए गए या शुरू किए जाने वाले किसी अन्वेषण, जाँच, लेखापरीक्षा (ऑडिट), जाँच-पड़ताल या कार्यवाही में गवाही देने, उसमें भाग लेने, या किसी अन्य प्रकार से बोर्ड की सहायता आदि करने अथवा बोर्ड द्वारा की गई प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई में किसी भी प्रकार से सहायता आदि करने के कारण; या

(iii) गोपनीयता बनाए रखने संबंधी ऐसे किसी करार का या नियुक्ति आदि की किन्हीं शर्तों आदि के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण, जो किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार से बोर्ड को सहयोग प्रदान करने से रोकते हों।

स्पष्टीकरण 1. - इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, "कर्मचारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपने कार्य के दौरान अंतरंग व्यापार संबंधी कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ी किसी सूचना का पता चल जाए और जो इन विनियमों के तहत स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म दाखिल करे और जो एक निदेशक, भागीदार, नियमित रूप से या संविदा (ठेके / कॉण्ट्रैक्ट) पर कार्यरत कर्मचारी हो, किंतु जिसमें वकील (अधिवक्ता) शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण 2. - इस विनियम में दी हुई कोई भी बात कर्मचारी से यह सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं करेगी कि, -

- (i) बोर्ड ने ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर कोई प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई शुरू कर ली है; या
- (ii) प्रदान की गई सूचना इन विनियमों के तहत मूल सूचना माने जाने के मानदंड पर खरी उतरती है।

(2) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी ऐसे मुखबिर को उपयुक्त राहत के लिए सक्षम न्यायालय या अधिकरण (न्यायाधिकरण / ट्रायब्युनल) के यहाँ जाने से नहीं रोकेगी, जो यह मानता हो कि उसके नियोक्ता (एम्प्लॉयर) द्वारा उससे बदला लिया जा रहा है या उसे सताया जा रहा है।

(3) उप-विनियम (2) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय का उल्लंघन करने वाला कोई नियोक्ता (एम्प्लॉयर) बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, शास्ति (पेनल्टी) लगाए जाने का, विवर्जित किए जाने का, निलंबित किए जाने का, और / या दांडिक (आपराधिक) अभियोजन (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाए जाने का दायी हो सकेगा; परंतु यह कि इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात बोर्ड से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को नौकरी बहाल करने या मुआवजा (प्रतिकर) देने का निदेश दे।

(4) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किन्हीं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत न तो किसी मुखबिर के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को कम करेगी और न ही मुखबिर को कानूनी उपाय अपनाने से रोकेगी।

शून्य (अमान्य) करार

7ब. (1) करार (मौखिक या लिखित) या आचार संहिता की कोई ऐसी शर्त आदि शून्य (अमान्य) मानी जाएगी, जहाँ तक उसका तात्पर्य, वकील (अधिवक्ता) से भिन्न किसी व्यक्ति को, प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के ऐसे उल्लंघन से संबंधित सूचना बोर्ड को प्रस्तुत करने से रोकना हो, जो हो चुका हो, हो रहा हो या जिसके बारे में काफी हद तक यह विश्वास हो कि ऐसा उल्लंघन किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कोई धमकी देकर या कुछ और करके किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को सूचना आदि दिए जाने में अड़चन नहीं डालेगा, जिसमें इस तरह सूचना आदि देने की बाबत गोपनीयता बनाए रखने संबंधी करार [जिसमें ग्राहक (क्लाइंट) के विधिक प्रतिनिधित्व से संबंधित करार और उसके तहत दी गई सूचना आदि शामिल नहीं हैं] के तहत कार्रवाई आदि करना या करने की धमकी देना शामिल है।

स्पष्टीकरण. - कोई भी नियोक्ता (एम्प्लॉयर) किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह बोर्ड के पास दाखिल किए गए किसी स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म के बारे में सूचित करे या पूर्व अनुमति या सहमति ले अथवा इस प्रकार

स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म दाखिल करने से पहले या दाखिल करने के बाद नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन (गाइडेन्स) ले।

कोई माफी नहीं

7ट. (1) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि प्रतिभूति विधि (सिक्क्यूरिटीज़ लॉ) के उल्लंघन के लिए मुखबिर को कोई माफी या छूट प्रदान की जाएगी।

(2) जहाँ मुखबिर के खिलाफ कार्रवाई करना उचित समझा जाए, वहाँ बोर्ड अंतिम रूप से, यथास्थिति, कोई शास्ति (पेनल्टी) लगाते समय, अनुशास्ति (सेंक्शन) तय करते समय, निदेश जारी करते समय या निपटारा (सेटलमेंट) करते समय दिए गए सहयोग को ध्यान में रख सकेगा।

(3) जहाँ मुखबिर के खिलाफ कार्रवाई करना उचित समझा जाए, वहाँ बोर्ड आर्थिक अनुशास्तियों का मूल्य तय करते समय उन आर्थिक अनुशास्तियों पर विचार नहीं करेगा जिनका भुगतान करने का आदेश मुखबिर को दिया गया हो या जिनका भुगतान करने का आदेश ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया हो, जिसे ऐसा भुगतान इसी वजह से करना पड़ रहा हो कि उसने जो कुछ भी किया वह काफी हद तक मुखबिर द्वारा दिए गए निदेश, बनाई गई योजना आदि के आधार पर ही किया।

(4) मुखबिर, जो बोर्ड के पास दाखिल किए गए स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म में सूचित किए गए प्रतिभूति विधियों से संबंधित उल्लंघनों के संबंध में अपनी भूमिका के आधार पर बोर्ड द्वारा प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई किए जाने का दायी हो सकता हो, वह साथ ही साथ या उसके बाद किसी भी समय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियों) विनियम, 2018 के अध्याय-IX के तहत गोपनीयता के साथ निपटारे की मांग करते हुए आवेदन दाखिल कर सकेगा।

(5) मुखबिर के खिलाफ बोर्ड द्वारा की गई किसी कार्रवाई के होते हुए भी मुखबिर, कोई रकम अदा करने के बाद, इनाम का पात्र हो सकेगा।

मुखबिर प्रोत्साहन समिति के कार्य

7ठ. (1) मुखबिर प्रोत्साहन समिति की सहायता मुखबिर संरक्षण कार्यालय द्वारा की जाएगी।

(2) मुखबिर प्रोत्साहन समिति निम्नलिखित मामलों के संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी,-

- I. इनाम के लिए मुखबिर की पात्रता के संबंध में;
- II. विनियम 7ड एवं 7छ के तहत तय किए जाने के संबंध में; और
- III. मुखबिर से संबंधित ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, जैसी बोर्ड समय-समय पर अपेक्षा करे।

(3) मुखबिर प्रोत्साहन समिति अपनी बैठकों का आयोजन उसी प्रकार करेगी, जैसा बोर्ड इस संबंध में निर्धारित करे।

मुखबिर की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना और मुखबिर को प्रोत्साहित करना

7ड. (1) बोर्ड अपने वेबसाइट पर निम्नलिखित को अपलोड करवाएगा (डलवाएगा),-

- i. मुखबिर संरक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट;
- ii. प्रेस विज्ञप्ति, जिसके माध्यम से जनता को यह सूचित किया जाएगा कि मुखबिर को विनियम 7घ के तहत सूचित कर दिया गया है;
- iii. प्रेस विज्ञप्ति, जिसके माध्यम से जनता को यह सूचित किया जाएगा कि इन विनियमों के तहत इनाम की रकम अदा कर दी गई है और मुखबिर द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसरण में आर्थिक अनुशास्तियों की कितनी रकम वसूल कर ली गई है;

iv. वह आदेश, जिसके माध्यम से इनाम दिया गया हो;

स्पष्टीकरण. – इस विनियम के अनुसार बोर्ड से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह ऐसी सूचना प्रकट करे जिससे मुखबिर की पहचान या मुखबिर द्वारा प्रदान की गई सूचना जाहिर हो सकती हो।”

(II) मौजूदा विनियम 11, विनियम 11 के उप-विनियम (1) रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-विनियम के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, –

“(2) अध्याय-III के प्रयोजनार्थ, बोर्ड,-

- परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ प्रक्रियाएँ आदि निर्धारित कर सकेगा;
- इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या में या उनके लागू होने आदि में आने वाली किसी कठिनाई को, परिपत्रों (सर्कुलर्स) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के जरिए स्पष्टीकरण जारी करके और प्रक्रियाएँ निर्धारित करके, दूर कर सकेगा।”

(III) अनुसूची-ग के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, –

“अनुसूची-घ

[विनियम 7(ख) देखें]

मुखबिर द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाने वाला स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म

टिप्पणी: विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना प्रस्तुत किए जाने के संबंध में, विधिक प्रतिनिधि द्वारा फॉर्म वह सूचना निकालकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे मुखबिर की पहचान जाहिर हो सकती हो, किंतु उसमें से विधिक प्रतिनिधि से संबंधित जानकारी और प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के उल्लंघन से संबंधित ब्यौरे नहीं निकाले जाएंगे।

(*) – यह चिह्न यह दर्शाता है कि यह चिह्न जहाँ लगा हुआ है उस खाने (फील्ड) को भरना जरूरी नहीं है, हालाँकि बाकी सभी खाने भरने जरूरी हैं।

I. मुखबिर की व्यक्तिगत जानकारी		
क.व्यक्ति 1: अंतिम नाम:	प्रथम नाम :	श्री / सुश्री / डॉ.:
पता:	शहर / राज्य:	पिन :
दूरभाष (राज्य के कोड सहित):	मोबाइल:	ई-मेल:
आप क्या करते हैं (ब्यौरे दें)*:	स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर), यदि उपलब्ध हो:	
II. विधिक प्रतिनिधि (जहाँ लागू हो)		
अंतिम नाम:	प्रथम नाम :	श्री / सुश्री / डॉ.:

फॉर्म का नाम (यदि निजी व्यवसाय न करते हों):		
संपर्क हेतु पता:	शहर / राज्य:	पिन:
निवास स्थान का पता:	शहर / राज्य:	पिन:
दूरभाष (राज्य के कोड सहित):	मोबाइल:	ई-मेल:
वार काउंसिल नामांकन संख्या:		
III. मूल सूचना प्रस्तुत करना		
1. क्या प्रतिभूति विधियों (सिक्कूरिटीज़ लॉज़) का उल्लंघन हुआ है ? हाँ / नहीं		
2. यदि प्रश्न सं. 1 का उत्तर हाँ हो, तो कृपया यह उल्लेख करें कि किस प्रकार का उल्लंघन हुआ है:		
3. क्या उल्लंघन: हो चुका है / हो रहा है / भविष्य में होने की संभावना है		
4. यदि उल्लंघन हो चुका है, तो उल्लंघन होने की तारीख बताएं : तारीख/महीना/वर्ष (यदि सही तारीख पता न हो, तो यह उल्लेख करें कि उल्लंघन अंदाज़न किस अवधि के दौरान हुआ)		
5. क्या व्यक्ति (व्यक्तियों) या उसके (उनके) प्रतिनिधियों ने संबंधित मामले के संबंध में बोर्ड को पहले सूचित आदि किया है या बोर्ड के पास पहले अभ्यावेदन किया है ? हाँ (उसके ब्यौरे दें) / नहीं		
6. क्या इस उल्लंघन का संबंध ऐसी एंटीटी से है, जिसके यहाँ व्यक्ति अधिकारी, निदेशक, काउंसिल, कर्मचारी, परामर्शदाता या ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) है या था ? हाँ (उसके ब्यौरे दें) / नहीं		
7. यदि प्रश्न सं. 6 का उत्तर हाँ हो, तो क्या मूल सूचना पहले आपके प्रमुख या कानूनी मुद्दे तथा पालन संबंधी मुद्दे देखने वाले आंतरिक विभाग आदि को प्रस्तुत की गई थी ? हाँ / नहीं		
8. यदि प्रश्न सं. 7 का उत्तर हाँ हो, तो कृपया मूल सूचना प्रस्तुत करने की तारीख बताएँ: तारीख/महीना/वर्ष		
9. कृपया विस्तार से उल्लेख करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने जो सूचना प्रस्तुत की है वह उल्लंघन से संबंधित है ?		
10. आपका आरोप किन तथ्यों या समर्थक दस्तावेजों आदि पर आधारित है ? यदि इस फॉर्म के साथ कोई और दस्तावेज लगाने जरूरी हों, तो कृपया संलग्न करें।		
11. आप सूचना प्रस्तुत करते समय ऐसे किसी दस्तावेज या अन्य सूचना की पहचान कर लें जिसके बारे में आपको काफी हद तक ऐसा लगता हो कि उससे आपकी पहचान जाहिर हो जाएगी और साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि आपको ऐसा किस आधार पर लगता है कि यदि संबंधित दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति (पर व्यक्ति / थर्ड पार्टी) को प्रकट किए गए तो आपकी पहचान जाहिर हो जाएगी।		
12. मुखबिर, कंपनी [प्रतिभूतियाँ (सिक्कूरिटीज़) जिस कंपनी से संबंधित हों] और व्यक्ति (जिसके खिलाफ सूचना प्रदान की जा रही हो) के बीच जो संबंध है, उसके ब्यौरे दें:		

IV. घोषणा

मैं / हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि,-

- (क) मैंने / हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 को पढ़ और समझ लिया है;
- (ख) मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा मात्र सूचना प्रदान कर देने से ही मुझे / हमें इनाम पाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता और यह कि मुझे / हमें कोई इनाम नहीं भी मिल सकता । मैं / हम इनाम दिए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के प्रति आबद्ध रहूँगा/रहूँगी / रहेंगे;
- (ग) मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर कार्रवाई करने या कार्रवाई न करने के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं है ।
- (घ) मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि इनाम की रकम अनुग्रहपूर्वक अदा की जाने वाली रकम है, जो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अध्यक्षीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार से प्रदान की जाएगी । प्राधिकारी का निर्णय मुझे / हमें स्वीकार्य होगा और मैं / हम इसे किसी भी मुकदमे, अपील और न्यायनिर्णयन (अजूडिकेशन) आदि में चुनौती नहीं दूँगा/दूँगी / देंगे ।
- (ङ) यदि मुझे / हमें इनाम की रकम अदा किए जाने से पहले मेरी / हमारी मृत्यु हो जाए, तो इनाम की रकम [नामिति (नामिनी) के ब्यौरे] को अदा कर दी जाए
- (च) मैं / हम यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि यहाँ दी गई सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 7छ के उप-विनियम (2) एवं उप-विनियम (6) में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की गई है और यदि ऐसा न पाया गया तो ऐसे में मैं / हम बोर्ड को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ / हैं । मैं / हम पूरी तरह से यह समझता/समझती हूँ / समझते हैं कि यदि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में या बोर्ड के साथ अन्य किसी व्यवहार (डीलिंग) में मैं/हम जानते हुए और जानबूझकर कोई मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण कथन या अभ्यावेदन करता/करती हूँ / करते हैं, या मिथ्या दस्तावेज का इस्तेमाल करता/करती हूँ / करते हैं या लिखित में कुछ गलत पेश करता/करती हूँ / करते हैं यह जानते हुए कि उसमें मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण तरीके से किया गया कथन है, तो मुझ पर / हम पर प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉ) और साथ ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और मैं / हम इनाम पाने के लिए अपात्र हो सकता/सकती हूँ / सकते हैं ।

हस्ताक्षर :

तारीख: तारीख/महीना/वर्ष

स्थान:

V. विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणपत्र**(जहाँ सूचना विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाए)**

मैं एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ कि,-

- क. मैंने पूर्णता और सटीकता की पुष्टि हेतु पूरी तरह से भरे गए और हस्ताक्षरित स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म की समीक्षा कर ली है और उसके अंतर्गत दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है;
- ख. मैंने उस दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के संबंध में घोषणाकर्ता से सहमति (जिसे घोषणाकर्ता वापस नहीं ले सकता) प्राप्त कर ली है, जब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) इस वजह से यह निवेदन करे कि मुखबिर ने इन विनियमों का पालन नहीं किया है या जब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को उक्त सूचना सत्यापन हेतु इसलिए चाहिए कि मुखबिर को अनुग्रहपूर्वक दिए जाने वाले किसी इनाम की घोषणा की जा सके या जब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को ऐसा लगे कि ऐसी सूचना माँगना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (सेबी एक्ट) के उद्देश्य [जिसमें निवेशकों का संरक्षण करना, विदेशी प्रतिभूति विनियामकों (सिक्यूरिटीज़ रेग्युलेटर्स) और कानून का प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) करने वाली एजेंसियों (चाहे भारत की हों या किसी दूसरे देश की) आदि के साथ साझा करना शामिल है] को पूरा करने के लिए जरूरी है;
- ग. मैं बिना आपत्ति के उस तारीख से सात (7) कलेंडर दिनों के भीतर मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हूँ और रहूँगा, जिस तारीख को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से ऐसा निवेदन प्राप्त हो।

हस्ताक्षर:

तारीख: तारीख/महीना/वर्ष

स्थान:

”

(IV) अनुसूची-घ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची ड

[विनियम 7घ एवं 7ड देखें]

मुखबिर द्वारा इनाम के दावे हेतु, बोर्ड को उस सूचना में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाने वाला फॉर्म, जिसमें यह उल्लेख हो कि पहली नजर में ही ऐसा लगता है कि मुखबिर इनाम पाने का पात्र है।

सभी खाने (फील्ड) भरने जरूरी हैं

I व्यक्तिगत जानकारी		
क. मुखबिर: अंतिम नाम:-----	प्रथम नाम:-----	श्री / सुश्री / डॉ:-----
पता :	शहर / राज्य:	पिन:
दूरभाष (राज्य के कोड सहित):	मोबाइल:	ई-मेल:
आप क्या करते हैं (ब्यौरा दें) :	स्थायी खाता संख्या (पैन):	

II प्रस्तुत की गई मूल सूचना

ऑनलाइन प्राप्ति-सूचना संख्या:

[स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण हेतु मूल फॉर्म संलग्न करें, यदि अभी तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रस्तुत न किया गया हो]

किस मामले के संबंध में प्रस्तुत की गई है:

प्रस्तुत करने की तारीख : तारीख/महीना/20

मामले का नाम :

सेबी की आदेश सं.:

तारीख : तारीख/महीना/20

III इनाम हेतु विचार करना

ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें, जो इनाम की रकम तय करने या उसे नामंजूर करने के मानदंडों के मद्देनजर जरूरी (संगत) हो । यदि कोई समर्थक दस्तावेज लगाने जरूरी हों, तो संलग्न करें ।

IV मुखबिर द्वारा घोषणा

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि,-

क. मैंने / हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 को पढ़ और समझ लिया है;

ख. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा मात्र सूचना प्रदान कर देने से ही मुझे / हमें पुरस्कार पाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता और यह कि मुझे / हमें कोई इनाम नहीं भी मिल सकता । मैं / हम इनाम दिए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के प्रति आबद्ध रहूंगा/रहूंगी / रहेंगे;

ग. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस सूचना के आधार पर इनाम दिए जाने या कार्रवाई करने या कार्रवाई न करने के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं है ;

घ. मैं / हम यह स्वीकार करता/करती हूँ / करते हैं कि इनाम की रकम अनुग्रहपूर्वक अदा की जाने वाली रकम है, जो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अध्यक्षीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार से प्रदान की जाएगी । प्राधिकारी का निर्णय मुझे / हमें स्वीकार्य होगा और मैं / हम इसे किसी भी मुकदमे, अपील और न्यायनिर्णयन (अजूडिकेशन) आदि में चुनौती नहीं दूंगा/दूंगी / देंगे ;

ङ. यदि मुझे / हमें इनाम की रकम अदा किए जाने से पहले मेरी / हमारी मृत्यु हो जाए, तो इनाम की रकम [नामिति (नामिनी) के ब्यौरे] को अदा कर दी जाए ;

च. मैं / हम यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि यहाँ दी गई सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 7छ के उप-विनियम (2) एवं उप-विनियम (6) में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की गई है और यदि ऐसा न पाया गया, तो ऐसे में मैं / हम बोर्ड को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ / हैं। मैं / हम पूरी तरह से यह समझता/समझती हूँ / समझते हैं कि यदि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में या बोर्ड के साथ अन्य किसी व्यवहार (डीलिंग) में मैं / हम जानते हुए और जानबूझकर कोई मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण कथन या अभ्यावेदन करता/करती हूँ / करते हैं, या मिथ्या दस्तावेज का इस्तेमाल करता/करती हूँ / करते हैं या लिखित में कुछ गलत पेश करता/करती हूँ / करते हैं, यह जानते हुए कि उसमें मिथ्या, काल्पनिक, या कपटपूर्ण तरीके से किया गया कथन है, तो मुझ पर / हम पर प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) और साथ ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और मैं / हम मुखबिर को दिया जाने वाला इनाम पाने के लिए अपात्र हो सकता/सकती हूँ / सकते हैं।

हस्ताक्षर :

तारीख: तारीख/महीना/वर्ष

स्थान:

VI विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो)

मैं एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ कि,-

(क) मैंने पूर्णता और सटीकता की पुष्टि हेतु पूरी तरह से भरे गए और हस्ताक्षरित दावे संबंधी फॉर्म की समीक्षा कर ली है और उसके अंतर्गत दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है; और

(ख) घोषणाकर्ता वही व्यक्ति है, जिसने मूल स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षर :

तारीख: तारीख/महीना/वर्ष

स्थान:

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन -III/4/असा./211/19]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85 द्वारा, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात् -
- i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59 द्वारा,
 - ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02 द्वारा,
 - iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23 द्वारा,
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/32.—In exercise of the powers conferred under Section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 11 and clauses (d) and (e) of Section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the 100th day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, –
 - (I) after Chapter III and before Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely, -

“Chapter IIIA

Definitions.

7A. (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires:-

- (a) ‘Investor Protection and Education Fund’ means the Investor Protection and Education Fund created by the Board under section 11 of the Act;
- (b) ‘Informant’ means an individual(s), who voluntarily submits to the Board a Voluntary Information Disclosure Form relating to an alleged violation of insider trading laws that has occurred, is occurring or has a reasonable belief that it is about to occur, in a manner provided under these regulations, regardless of whether such individual(s) satisfies the requirements, procedures and conditions to qualify for a reward;
- (c) ‘Informant Incentive Committee’ means the High Powered Advisory Committee constituted by the Board in the manner as may be specified under regulation 11 of the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.

- (d) 'insider trading laws' means the following provisions of securities laws,-
- i. Section 15G of the Act;
 - ii. regulation 3 of these regulations;
 - iii. regulation 4 of these regulations;
 - iv. regulation 5 of these regulations; and
 - v. regulation 9 or regulation 9A of these regulations, in so far as they pertain to trading or communication of unpublished price sensitive information.
- (e) 'irrelevant, vexatious and frivolous information' includes, reporting of information which in the opinion of the Board, -
- (i) Does not constitute a violation of insider trading laws; or
 - (ii) Is rendered solely for the purposes of malicious prosecution; or
 - (iii) Is rendered intentionally in an effort to waste the time and resource of the Board.
- (f) 'Legal Representative' means a duly authorised individual who is admitted to the practice of law in India;
- (g) 'Monetary Sanctions' shall mean any non-monetary settlement terms or any direction of the Board, in the nature of disgorgement under securities laws aggregating to at least Rupees one crore arising from the same operative facts contained in the original information.
- (h) 'Original Information' means any relevant information submitted in accordance with these regulations pertaining to any violation of insider trading laws that is:-
- (i) derived from the independent knowledge and analysis of the Informant;
 - (ii) not known to the Board from any other source, except where the Informant is the original source of the information;
 - (iii) is sufficiently specific, credible and timely to - (1) commence an examination or inquiry or audit, (2) assist in an ongoing examination or investigation or inquiry or audit, (3) open or re-open an investigation or inquiry, or (4) inquire into a different conduct as part of an ongoing examination or investigation or inquiry or audit directed by the Board;
 - (iv) not exclusively derived from an allegation made in a judicial or administrative hearing, in a Governmental report, hearing, audit, or investigation, or from the news media, except where the Informant is the original source of the information; and
 - (v) not irrelevant or frivolous or vexatious.
Explanation. -Information which does not in the opinion of the Board add to the information already possessed by the Board is not original information.
- (i) 'own analysis' means the examination and evaluation of the relevant information by the Informant that may be publicly available, but which reveals analysis that is not known to SEBI:
Provided that such analysis is not derived from professional or confidential communication protected under the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);
- (j) 'own knowledge' means relevant information in the possession of the Informant not derived from publicly available sources:
Provided that such knowledge is not derived from professional or confidential communications protected under the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);
- (k) 'Reward' means any gratuitous monetary amount for which an Informant is declared eligible as per the provisions of these regulations;
- (l) 'securities laws' means the Act, the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the relevant provisions of any other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and regulations made thereunder;
- (m) 'voluntarily providing information' means providing the Board with information before receiving any request, inquiry, or demand from the Board, any other Central or State authorities or other statutory authority about a matter, to which the information is relevant;
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations but defined in securities laws, shall have the same meanings respectively assigned to them in those laws or any statutory modification or re-enactment thereto.

Submission of Original Information to the Board

7B. (1) An Informant shall submit Original Information by furnishing the Voluntary Information Disclosure Form to the Office of Informant Protection of the Board in the format and manner set out in Schedule D. The Voluntary Information Disclosure Form may be submitted through informant's legal representative:

Provided that where the Informant does not submit the Voluntary Information Disclosure Form through a legal representative, the Board may require such Informant to appear in person to ascertain his/her identity and the veracity of the information so provided.

Explanation. – Where any information pertaining to any violation of the Securities Laws is received in a manner not in accordance with the manner provided under these regulations, the Board may require such information to be filed with it in accordance with these regulations or reject the same.

(2) The legal representative shall,-

- i. Verify the identity and contact details of the Informant;
- ii. Unless otherwise required by the Board, maintain confidentiality of the identity and existence of the Informant, including the original Voluntary Information Disclosure Form;
- iii. Undertake and certify that he/she,-
 - (a) Has reviewed the completed and signed Voluntary Information Disclosure Form for completeness and accuracy and that the information contained therein is true, correct and complete to the best of his/her knowledge;
 - (b) Has obtained a irrevocable consent from the Informant to provide to the Board with original Voluntary Information Disclosure Form whenever required by the Board; and
 - (c) Agrees to be legally obligated to provide the original Voluntary Information Disclosure Form within seven (7) calendar days of receiving such requests from the Board.
- iv. Submits to the Board, the copy of the Voluntary Information Disclosure Form in the manner provided in Schedule D of these regulations along with a signed certificate as required under clause (iii) of this sub-regulation (2).

(3) An Informant shall while submitting the Voluntary Information Disclosure Form shall expunge such information from the content of the information which could reasonably be expected to reveal his or her identity and in case where such information cannot be expunged, the Informant may identify such part of information or any document that the Informant believes could reasonably be expected to reveal his or her identity.

Receipt of Original Information by the Board

7C. (1) The Board may designate a division to function as the independent Office of Informant Protection.

(2) The Office of Informant Protection shall perform such functions as may be specified by the Board, including,-

- i. Receiving and registering the Voluntary Information Disclosure Form;
- ii. Making all necessary communications with the Informant;
- iii. Maintaining a hotline for the benefit of potential Informant;
- iv. Maintaining confidentiality of the legal representative of the Informant and act as an interface between the Informant and the officers of the Board;
- v. Interacting with the Informant Incentive Committee;
- vi. Issuing press releases and rewards relating to Informant; and
- vii. Submitting an annual report to the Board relating to the functioning of the Office of Informant Protection.

(3) On receipt of the Voluntary Information Disclosure Form, the Office of Informant Protection shall communicate the substance of the information along with the evidence submitted by the informant to the relevant department or division of the Board for examination and initiation of necessary action, if any.

(4) The Board shall not be required to send any intimation or acknowledgement to the Informant or any other person, of the examination or action initiated by the Board, if any, pursuant to receipt of the Voluntary Information Disclosure Form or information under these regulations, including rejection thereof.

Informant Reward.

7D. (1) Upon collection or substantial recovery of the monetary sanctions amounting to at least twice the Reward, the Board may at its sole discretion, declare an Informant eligible for Reward and intimate the Informant or his or her legal representative to file an application in the format provided in Schedule-E for claiming such Reward:

Provided that the amount of Reward shall be ten percent of the monetary sanctions collected or recovered and shall not exceed Rupees One crore or such higher amount as the Board may specify from time to time:

Provided further that the Board may if deemed fit, out of the total Reward payable, grant an interim reward not exceeding Rupees Ten lacs or such higher amount as the Board may specify from time to time, on the issue of final order by the Board against the person directed to disgorge.

(2) In case of more than one Informant jointly providing the Original Information, the Reward, as specified in the intimation under sub-regulation (1), shall be divided equally amongst the total number of Informants.

(3) The Reward under these regulations shall be paid from the Investor Protection and Education Fund.

Determination of amount of Reward.

7E. (1) The amount of the Reward, if payable, shall be determined by the Board.

(2) While determining the amount of Reward under sub-regulation (1), the Board may specify the factors that may be taken into consideration by the Informant Incentive Committee.

(3) An Informant may be eligible for a Reward whether or not he reported the matter to his organization as per its internal legal and compliance procedures and irrespective of such organization's compliance officer subsequently providing the same Information to the Board.

Application for Reward.

7F. (1) Informants who are considered tentatively eligible for a Reward, shall submit the Informant Reward Claim Form set out in Schedule E to the Board within the period specified in the intimation sent by the Board.

(2) Prior to the payment of a Reward, an Informant shall directly or through his or her legal representative, disclose his or her identity and provide such other information as the Board may require.

Rejection of claim for Reward.

7G. No Reward shall be made to an Informant:-

- (1) who does not submit original information;
- (2) who has acquired the Original Information, through or as a member, officer, or an employee of:-
 - (i) any regulatory agency constituted by or under any law in India or outside India, including the Board;
 - (ii) any self-regulatory organization;
 - (iii) the surveillance or investigation wings of any recognised stock exchange or clearing corporation; or
 - (iv) any law enforcement organization including the police or any central or state revenue authorities.
- (3) against whom the Board may initiate or has initiated criminal proceedings under securities laws;
- (4) who wilfully refused to cooperate with the Board during its course of investigation, inquiry, audit, examination or other proceedings under securities laws;
- (5) who:
 - (i) knowingly makes any false, fictitious, or fraudulent statement or representation; or
 - (ii) uses any false writing or document knowing that the writing or document contains any false, fictitious, or fraudulent statement or entry; or
 - (iii) fails to furnish the complete information available with him or accessible by him in relation to the alleged violation.
- (6) who is obligated, under any law or otherwise, to report such Original Information to the Board, including a compliance officer under securities laws.

Provided that the Board may if deemed fit, at its sole discretion, exempt a person from any of these disqualifications.

Informant confidentiality.

7H. (1) Any information including Original Information may, at the discretion of the Board, be made available:

- (a) when it is required to be disclosed in connection with any legal proceedings in furtherance of the Board's legal position;
- (b) as permitted by these regulations; or
- (c) as may be otherwise required or permitted by law.

(2) Original Information may, at the discretion of the Board, be made available to -

- (i) any regulatory agency constituted by or under any law in India or outside India;
- (ii) any self-regulatory organization;
- (iii) the surveillance or investigation wings of any recognised stock exchange or clearing corporation; or
- (iv) any law enforcement organization including the police or any central or state revenue authorities; or
- (v) a public prosecutor in connection with any criminal proceedings.

Provided that sharing of information shall be in accordance with such assurances of confidentiality as the Board determines appropriate.

Explanation - Nothing in these regulations is intended to limit, or shall be construed to limit, the ability of the public prosecutor to share such evidence with potential witnesses or accused in connection with any criminal proceedings.

(3) The Original Information and identity provided by an Informant shall be held in confidence and exempted from disclosure under clauses (g) and (h) of sub-section (1) of section 8 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

(4) Subject to the law of evidence for the time being in force, nothing in these regulations shall prejudice the right of the Board to use or to rely on information received otherwise.

(5) No person shall have the right to compel disclosure of the identity, existence of an Informant or the information provided by an Informant, except to the extent relied upon in any proceeding initiated against such person by the Board.

Explanation 1. - The confidentiality in respect of the identity and existence of the Informant shall be maintained throughout the process of investigation, inquiry and examination as well as during any proceedings before the Board and save where the evidence of the Informant is required during such proceedings, advance notice of such evidence may be provided to the noticee at least seven (7) working days prior to the date of the scheduled hearing for evidence.

Explanation 2. - In proceedings before any authority other than the Board, the Board may request maintenance of confidentiality of the identity and existence of an Informant in such proceeding.

Protection against retaliation and victimisation

7I. (1) Every person required to have a Code of Conduct under these regulations shall ensure that such a Code of Conduct provides for suitable protection against any discharge, termination, demotion, suspension, threats, harassment, directly or indirectly or discrimination against any employee who files a Voluntary Information Disclosure Form, irrespective of whether the information is considered or rejected by the Board or he or she is eligible for a Reward under these regulations, by reason of:

- (i) filing a Voluntary Information Disclosure Form under these regulations;
- (ii) testifying in, participating in, or otherwise assisting or aiding the Board in any investigation, inquiry, audit, examination or proceeding instituted or about to be instituted for an alleged violation of insider trading laws or in any manner aiding the enforcement action taken by the Board; or
- (iii) breaching any confidentiality agreement or provisions of any terms and conditions of employment or engagement solely to prevent any employee from cooperating with the Board in any manner.

Explanation 1. - For the purpose of this Chapter, "employee" means any individual who during employment may become privy to information relating to violation of insider trading laws and files a Voluntary Information Disclosure Form under these regulations and is a director, partner, regular or contractual employee, but does not include an advocate.

Explanation 2. - Nothing in this regulation shall require the employee to establish that,-

- (i) the Board has taken up any enforcement action in furtherance of information provided by such person; or
- (ii) the information provided fulfils the criteria of being considered as an Original Information under these regulations.

(2) Nothing in these regulations shall prohibit any Informant who believes that he or she has been subject to retaliation or victimisation by his or her employer, from approaching the competent court or tribunal for appropriate relief.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), any employer who violates this Chapter may be liable for penalty, debarment, suspension, and/or criminal prosecution by the Board, as the case may be:

Provided that nothing in these regulations will require the Board to direct re-instatement or compensation by an employer.

(4) Nothing in these regulations shall diminish the rights and privileges of or remedies available to any Informant under any other law in force.

Void Agreements

7J. (1) Any term in an agreement (oral or written) or Code of Conduct, is void in so far as it purports to preclude any person, other than an advocate, from submitting to the Board information relating to the violation of the securities laws that has occurred, is occurring or has a reasonable belief that it would occur.

(2) No person shall by way of any threat or act impede an individual from communicating with the Board, including enforcing or threatening to enforce, a confidentiality agreement (other than agreements related to legal representations of a client and communications there under) with respect to such communications.

Explanation. - No employer shall require an employee to notify him of any Voluntary Information Disclosure Form filed with the Board or to seek its prior permission or consent or guidance of any person engaged by the employer before or after such filing.

No Amnesty

7K. (1) Nothing in these regulations shall be deemed to provide any amnesty or immunity to an Informant for violation of securities law.

(2) Where an action against an Informant is deemed appropriate the Board may take into account the co-operation rendered in the final determination of any penalty, sanction, direction or settlement thereof, as the case may be.

(3) Where an action against an Informant is deemed appropriate, the Board while determining the value of monetary sanctions shall not take into account the monetary sanctions that the Informant is ordered to pay or that which any other person is ordered to pay if the liability of such other person is based substantially on the conduct that the Informant directed, planned, or initiated.

(4) An Informant who may be liable for enforcement action by the Board based on his or her conduct in connection with securities laws violations reported in the Voluntary Information Disclosure Form filed with the Board, may simultaneously or at any time thereafter file an application seeking settlement with confidentiality under Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.

(5) Notwithstanding any action taken by the Board against an Informant, the Informant may, after payment of any monetary amounts be eligible for a Reward.

Functions of Informant Incentive Committee

7L. (1) The Informant Incentive Committee shall be assisted by the Office of Informant Protection.

(2) The Informant Incentive Committee shall give its recommendations to the Board on the following matters,-

- i. Eligibility of Informant for reward;
- ii. Determination under regulations 7E and 7G; and

iii. Such other issues relating to Informant as the Board may require from time to time.

(3) The Informant Incentive Committee shall conduct its meetings in the manner specified by the Board in this regard.

Public dissemination and incentivisation of Informant.

7M. (1) The Board shall upload on its website the following:-

- i. Annual report of the Office of Informant Protection;
- ii. Press release informing the public that an intimation to the Informant has been issued under Regulation 7D;
- iii. Press release informing the public that a Reward has been paid under these regulations and the amount of Monetary Sanctions recovered pursuant to the information provided by the Informant;
- iv. The Order issuing the Reward;

Explanation. – Nothing in this regulation shall require the Board to disclose information that could identify the Informant or the information provided by the Informant.”

(II) existing regulation 11 shall be re-numbered as sub-regulation (1) thereof, and after the sub-regulation so re-numbered the following sub-regulation shall be inserted, namely, –

“(2) For the purpose of Chapter IIIA, the Board may,-

- i. by circular, specify procedures and processes for carrying out the purposes of these regulations;
- ii remove any difficulty in the interpretation or application or implementation of the provisions of these regulations, by issuing clarifications and specifying procedures through circulars or guidelines.”

(III) after Schedule C, the following Schedule shall be inserted, namely, –

“ SCHEDULE D

[See regulation 7B]

Form for Informant’s Voluntary Information Disclosure to be submitted to the Board.

Note: For submission of information through a legal representative, the redacted copy of the Form expunging information that may identify the Informant shall be submitted by the legal representative without expunging any information relating to the legal representative and the details relating to the violation of securities laws.

*Indicates that the required field is non-mandatorily, remaining fields are mandatory

I. PERSONAL INFORMATION OF THE INFORMANT		
A.INDIVIDUAL 1:		
Last Name:.....	First Name:.....	Title:.....
Address:	City / State:	PIN:
Telephone (with State Code):	Mobile:	E-Mail address:
Employment Details*:	Permanent Account Number, if available:	
II. LEGAL REPRESENTATIVE (where applicable)		
Last Name:.....	First Name:.....	Title:.....
Firm Name (if not self-employed):		
Contact address :	City / State:	PIN:

Residence address:	City / State:	PIN:
Telephone (with State Code):	Mobile:	E-Mail address:
Bar Council Enrolment Number:		
III SUBMISSION OF ORIGINAL INFORMATION		
1. Is it a violation of securities laws? Yes / No		
2. If yes to question (1), please describe the type of violation:		
3. Has the violation: Occurred / Occurring / Potential to occur in future		
4. If the violation has occurred, date of occurrence: dd/mm/yy (in case exact date is not known, an approximate period may be entered)		
5. Have the individual(s) or their representatives had any prior communication(s) or representations with the Board concerning this matter? Yes (Details thereof) / No		
6. Does this violation relate to an entity of which the individual is or was an officer, director, counsel, employee, consultant or contractor? Yes (Details thereof) / No		
7. If yes to question (6), was the original information submitted first to your Head or internal legal and compliance office? Yes / No		
8. If yes question (7), then please provide, Date of submission of original information: dd/mm/yy		
9. Please describe in detail why you think the information submitted is a violation?		
10. What facts or supporting material is your allegation based on? Please attach any additional documents to this form, if necessary.		
11. Identify any documents or other information in your submission that you believe could reasonably be expected to reveal your identity and explain the basis for your belief that your identity would be revealed if the documents were disclosed to a third party.		
12. Provide details of connection amongst the Informant, the company whose securities are involved and the person against whom information is being provided:		
IV. DECLARATION		
I/we hereby declare that,-		
A. I/we have read and understood the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;		
B. I/we accept that mere furnishing of information by me/us does not by itself confer on me/us right to get reward and that I/we may not get any Reward at all. I/we would be bound by the decisions that the authority competent to grant reward may take;		
C. I/we accept that the Securities and Exchange Board of India is under no obligation to enter into any correspondence regarding action or inaction taken as a result of my/our information.		
D. I/we accept that the reward would be an ex-gratia payment which, subject to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, shall be granted at the		

absolute discretion of the competent authority. The decision of the authority shall be acceptable to me/us and I/we shall not challenge it in any litigation, appeal, adjudication, etc.

- E. In the event of my/our death before the reward is paid to me/us, it may be paid to (Details of nominee)
- F. I/we declare that the information contained herein is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief and not obtained from the categories of persons indicated in sub-regulation (2) and sub-regulation (6) of regulation 7G of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and agree to indemnify the Board in case it is not so found. I/we fully understand that I/we may be subject to action under securities laws as well as Section 182 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and ineligible for Reward if, in my/our submission of information or in any other dealings with the Board, I/we knowingly and wilfully make any false, fictitious, or fraudulent statements or representations, or use any false writing or document knowing that the writing or document contains any false, fictitious, or fraudulent statement.

Signature:.....

Date: dd/mm/yy

Place:

V. CERTIFICATE BY LEGAL REPRESENTATIVE (where the information is submitted through legal representative)

I hereby certify as follows,-

- (a) I have reviewed the completed and signed Voluntary Information Disclosure Form for completeness and accuracy and the information contained therein is true, correct and complete to the best of my knowledge;
- (b) I have irrevocable consent from the Declarant, to provide to the Securities and Exchange Board of India, the original Voluntary Information Disclosure Form in the event of a request for it from the Securities and Exchange Board of India due to concerns that the Informant has not complied with these regulations or where the Securities and Exchange Board of India requires the said information for the purpose of verification for declaring any gratuitous reward to the Informant or where the Securities and Exchange Board of India determines that it is necessary to seek such information to accomplish the purpose of the Securities and Exchange Board of India Act including for the protection of investors, sharing with foreign securities regulators and foreign and Indian law enforcement agencies, etc.;
- (c) I am and shall continue to be legally obligated to provide the original Voluntary Information Disclosure Form without demur within seven (7) calendar days of receiving such request from the Securities and Exchange Board of India.

Signature:.....

Date: dd/mm/yy

Place:

(IV) after Schedule D, the following Schedule shall be inserted, namely, –

“SCHEDULE E

[See regulations 7D and 7E]

Form for Informant’s Reward Claim to be submitted to the Board within the time specified in the intimation of prima facie eligibility to receive an Informant Reward.

All fields are mandatory

I. PERSONAL INFORMATION		
A. Informant:		
Last name:-----	First Name:-----	Title:-----
Address:	City / State:	PIN:
Telephone (with State code):	Mobile:	E-Mail Address:
Employment Details:	Permanent Account Number:	
II ORIGINAL INFORMATION SUBMITTED		
Online Acknowledgment Receipt Number: (Annex Original Form for Voluntary Information Disclosure, if not yet submitted to Securities and Exchange Board of India)		
Subject matter of submission:		Date of submission: dd/mm/20
Case Name:	SEBI Order No.:	Date: dd/mm/20
III CONSIDERATION FOR REWARD		
Provide any material information that may be relevant in light of the criteria for determining the amount of Reward or denial thereof. Include any supporting documents if necessary.		
IV DECLARATION BY INFORMANT		
I/we hereby declare that,-		
<p>A. I/we have read and understood the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;</p> <p>B. I/we accept that mere furnishing of information by me/us does not by itself confer on me/us right to get reward and that I/we may not get any Reward at all. I/we would be bound by the decisions that the authority competent to grant reward may take;</p> <p>C. I/we accept that the Securities and Exchange Board of India is under no obligation to pay any reward or enter into any correspondence regarding action or inaction taken as a result of this communication.</p> <p>D. I/we accept that the reward would be an ex-gratia payment which, subject to the Securities and Exchange Board of India Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, shall be granted at the absolute discretion of the competent authority. The decision of the authority shall be acceptable to me/us and I/we shall not challenge it in any litigation, appeal, adjudication, etc.</p> <p>E. In the event of my/our death before the reward is paid to me/us, it may be paid to (Details of nominee)</p> <p>F. I/we declare that the information contained herein is true, correct and complete to the best of my/our</p>		

knowledge and belief and not obtained from the categories of persons indicated in sub-regulation (2) and sub-regulation (6) of regulation 7G of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and agree to indemnify the Board in case it is not so found. I/we fully understand that I/we may be subject to action under securities laws as well as Section 182 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and ineligible for an Informant Reward if, in my/our submission of information or in any other dealings with the Board, I/we knowingly and wilfully make any false, fictitious, or fraudulent statements or representations, or use any false writing or document knowing that the writing or document contains any false, fictitious, or fraudulent statement.

Signature:.....

Date: dd/mm/yy

Place:

V CERTIFICATE BY LEGAL REPRESENTATIVE (where applicable)

I hereby certify as follows,-

- (a) I have reviewed the completed and signed claim form for completeness and accuracy and the information contained therein is true, correct and complete to the best of my knowledge; and
- (b) The declarant is the person who signed the original Voluntary Information Disclosure Form.

Signature:.....

Date: dd/mm/yy

Place:

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./211/19]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was amended on,-
 - i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59;
 - ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
 - iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.